



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा—वर्ष 2015

परीक्षा कार्यक्रम

समय— प्रातः 08.30 से 11.45 तक

| वार/दिनांक                | विषय (कोड)   |
|---------------------------|--|
| गुरुवार, 12 मार्च, 2015   | अंग्रेजी अनिवार्य (02)   |
| शुक्रवार, 13 मार्च, 2015  | हिन्दी अनिवार्य (01)   |
| शनिवार, 14 मार्च, 2015    | कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस (04) / मल्टीमीडिया वेबटेक (05)  |
| रविवार, 15 मार्च, 2015    | रविवार अवकाश   |
| सोमवार, 16 मार्च, 2015    | राजनीति विज्ञान (कला वर्ग) (11)  |
| मंगलवार, 17 मार्च, 2015   | समाजशास्त्र (कला वर्ग) (29)  |
| बुधवार, 18 मार्च, 2015    | इतिहास (कला वर्ग) (13)   |
| गुरुवार, 19 मार्च, 2015   | अन्तराल  |
| शुक्रवार, 20 मार्च, 2015  | संस्कृत वाङ्मय (94)  |
| शनिवार, 21 मार्च, 2015    | चेटीचण्ड अवकाश   |
| रविवार, 22 मार्च, 2015    | रविवार अवकाश   |
| सोमवार, 23 मार्च, 2015    | अंग्रेजी साहित्य (कला वर्ग) (20)   |
| मंगलवार, 24 मार्च, 2015   | गणित (15) / टंकण लिपि (हिन्दी) (34)<br>(टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे।)  |
| बुधवार, 25 मार्च, 2015    | अन्तराल  |
| गुरुवार, 26 मार्च, 2015   | जीव विज्ञान (विज्ञान वर्ग) (42), हिन्दी साहित्य (कला वर्ग) (21), टंकण लिपि (अंग्रेजी) (35)<br>(टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे।)   |
| शुक्रवार, 27 मार्च, 2015  | अन्तराल  |
| शनिवार, 28 मार्च, 2015    | रामनवमी अवकाश  |
| रविवार, 29 मार्च, 2015    | रविवार अवकाश   |
| सोमवार, 30 मार्च, 2015    | ऋग्वेद 44, शुक्ल यजुर्वेद 45, कृष्ण यजुर्वेद 46, सामवेद 47, अर्थवर्वेद 48, न्याय दर्शन 49, वेदान्त दर्शन 50, मीमांसा दर्शन 51, जैन दर्शन 52, निष्वार्क दर्शन 53, वल्लभ दर्शन 54, सामान्य दर्शन 55, व्याकरण शास्त्र 86, साहित्य शास्त्र 87, पुराणोत्तिहास 88, धर्मशास्त्र 89, ज्योतिष शास्त्र 90, सामुद्रिक शास्त्र 91, वास्तुविज्ञान 92, पौरोहित्य शास्त्र 93, |
| मंगलवार, 31 मार्च, 2015   | अर्थशास्त्र (कला वर्ग) (10), शीघ्रलिपि—हिन्दी/अंग्रेजी (32–33)   |
| बुधवार, 01 अप्रैल, 2015   | गृह विज्ञान (कला वर्ग) (18)  |
| गुरुवार, 02 अप्रैल, 2015  | महावीर जयंती अवकाश   |
| शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2015 | गुड फ्राईडे अवकाश  |
| शनिवार, 04 अप्रैल, 2015   | चित्रकला कला वर्ग (17)   |
| रविवार, 05 अप्रैल, 2015   | रविवार अवकाश   |
| सोमवार, 06 अप्रैल, 2015   | भूगोल (14)   |

नोट:- 1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।

2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूरू एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
5. भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इंस्ट्रुमेन्ट बॉक्स साथ लायेंगे।
6. परीक्षा कक्ष में केलव्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
7. टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे। विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हों तो उन्हें प्रत्येक चार छात्रों के लिये एक टंकण यन्त्र केन्द्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यन्त्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से चार के बजाय पांच परीक्षार्थियों के लिये एक टंकण यन्त्र भेज सकते हैं। स्वयंपाठी परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यन्त्र का प्रबन्ध करेंगे। परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक टंकण यन्त्र उपलब्ध न हो तो केन्द्राधीक्षक को चाहिये कि उपलब्ध टंकण यन्त्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हें किस समय परीक्षा केन्द्र पर आना है, इसकी सूचना दें देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिये जावेंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी। सम्बन्धित दल की परीक्षा प्रारम्भ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र पर बुलाया जावे।
8. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।
9. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
10. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
11. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में “समाप्त” शब्द लिखकर रिक्त पुछों को तिरछी लाइन से काटें।

सचिव